न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्याः 12/102/2025 GCMS **संख्याः** 2025/321

दर्ज दिनांकः 24-07-2025 **निर्णय दिनांकः** 21-05-2026

1— इन्द्रजीतसिंह यादव पुत्र विरेन्द्रसिंह ,
2— दलबीरसिंह पुत्र रामेश्वरदयाल,
3— मंजू यादव पुत्री विरेन्द्रसिंह ,
4— मंजीतसिंह यादव पुत्र विरेन्द्रसिंह ,
5— हरपालसिंह पुत्र रामेश्वरदयाल जातियान अहीर, निवासीयान ग्राम सियाखोह तहसील मुंडावर, जिला खैरथल—तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्टान

बनाम

1— तहसीलदार, मुंडावर, जिला खैरथल—तिजारा (राजस्थान)

रेस्पोडेन्ट

अपील निर्णय विरूद्व तहसीलदार, मुंडावर नामान्तकरण संख्या 130 वाके ग्राम पीपली तहसील मुण्डावर निर्णय दिनांक 04.10.2024

उपस्थितिः
1— श्री सरजीत यादव — वकील अपीलान्ट

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार, मुंडावर द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 130 निर्णय दिनांक 04.10.2024 वाके ग्राम पीपली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल—तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तकरण में वर्णित आराजी किता 4 रकबा 2.26 है0 वाके ग्राम पीपली तहसील मुण्डावर में स्थित है, आराजी अपीलान्ट की माता भगवानी पत्नि रामेश्वरदयाल के नाम दर्ज रिकार्ड थी। माता का स्वर्गवास हो जाने पर अपीलान्ट ने आराजी की विरासत दर्ज करवाने हेतु समस्त दस्तावेज पटवारी हल्का के दिये गये। जिस पर पटवारी हल्का ने कहा की आपकी विरासत दर्ज हो जावेगी, लेकिन उसके बाद तहत अदालत ने नामान्तकरण यह अंकित करते हुऐ खारिज कर दिया कि मृतक के दस्तावेज पेश नही है, जबकि पटवारी हल्का को समस्त दस्तावेज पेश कर दिये थे। तहत अदालत ने निर्णय से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई/साक्ष्य का मौका नही दिया गया। एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर निर्णय पारित किया गया है। तहत अदालत के निर्णय को निरस्त किया जावे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा

को पूर्व में नही थी, पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनाक 10.06.2025 को नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने पर हुई तो जानकारी में आया। जानकारी होने पर अभिभाषक से कानूनी सलाह मशवरा प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की गयी है। पारित निर्णय दिनाक 04.10.2024 से दिनाक 10.06.2025 तक का जो समय गुजरा है, व जानकारी न होने के कारण व्यतित हुआ है, जिसे कण्डोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद ग्रहण की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 पर विचार किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय को दिनाक 14.07.2025 को पेश की गयी है। जो करीब 08 माह 13 दिवस पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है। हम अपील का निस्तारण केवल दफा 5 को आधार मानकर निस्तारण किया जाना उचित नही समझते है, अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 04.10.2024 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 10.06.2025 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है।

अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट ने मुख्य कथन किया है, कि नामान्तकरण में वर्णित आराजी अपीलान्ट की माता भगवानी पत्नि रामेश्वरदयाल के नाम दर्ज रिकार्ड थी। माता का स्वर्गवास हो जाने पर विरासत दर्ज करवाने हेतु समस्त दस्तावेज पटवारी हल्का के दिये गये। लेकिन उसके बाद तहत अदालत ने नामान्तकरण यह अंकित करते हुऐ खारिज कर दिया कि मृतक के दस्तावेज पेश नही है। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नामान्तकण संख्या 130 वाके ग्राम पीपली पटवारी हल्का द्वारा दिनाक 06.03.2024 को दर्ज किया जाकर पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते निर्णय हेतु पेश किया गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनाक 04.10.2024 को नोट अंकित करते हुऐ नामान्तकरण को खारिज किया गया है, जबकि नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा सही दर्ज किया गया है। अपील अपीलान्टान स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 130 वाके ग्राम ग्राम पीपली तहसील मुण्डावर निर्णय दिनाक 04.10.2024 निरस्त किया जाकर तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रंषित किया जाता है, कि अपीलान्टान को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः विधिवत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल ज़मा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राजस्थान)